2012:CGHC:8589-DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(युगल पीठ :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 444/2009

अपीलार्थीगण -	वीरेंद्र कुमार व एक अन्य
विरुद्ध	
प्रत्यर्थी -	छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 537/2009

अपीलार्थीगण -	रिखीराम
विरुद्ध	
प्रत्यर्थी -	छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण-	श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, श्री वसीम मियाँ एवं श्री महेंद्र दुबे
राज्य हेतु -	श्री संदीप यादव, शासकीय अधिवक्ता

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें।

निर्णय

(3.10.2012)

1. चूँकि ये दोनों अपीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 124/2007 में पारित समान निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.4.2009 से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 342 एवं 454 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 342 एवं 454 के तहत पृथक-पृथक 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त कारावास की दंड से दण्डादिष्ट किया गया है, अतः इन्हें इस समान निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.9.2006 को थाना पंडरी, जिला रायपुर की पुलिस द्वारा मृतक के पुत्र वेद प्रकाश (अ.सा.-1) की सूचना पर देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1) दर्ज की गई थी, जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि घटना के दिन जब उसके पिता विद्युत विभाग में अपनी ड्यूटी पर गए थे, तब उसका किरायेदार वीरेंद्र देवांगन (दाण्डिक अपील क्रमांक 444/2009 में अभियुक्त/अपीलार्थीगण में से एक), जो पास के ही कमरे में रहता था, वहाँ आया और उसकी माता को बताया कि कोई व्यक्ति मकान को किराये पर लेने के उद्देश्य से देखने आया है, जिसके बाद उसकी माता उस (अभियुक्त वीरेंद्र) के साथ चली गई।

यह अभिकथन है कि उसके 15 मिनट पश्चात उक्त वीरेंद्र पुनः उसके पास आया और उधार के रूप में 50/- रुपये की मांग की, और जब उसने यह उत्तर दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने (वीरेंद्र ने) उसे अपनी माता से पैसों का प्रबंध करने को कहा और उसे पास के कमरे में ले गया। उक्त कमरे में पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माता एक खाट पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसके सिर पर चोट के निशान थे।

यह आरोप है कि उसकी माता द्वारा पहने गए कुछ आभूषण गायब थे और उक्त वीरेंद्र के साथ दीपक (अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त), अभियुक्त/अपीलार्थी रिखीराम और एक अन्य लड़का भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उसे एक बेंच से बांध दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर मौके से फरार हो गए। कुछ समय बाद, वह किसी तरह खुद को मुक्त करने में सफल रहा और खिड़की से चिल्लाने लगा। तत्पश्चात, एक लड़का वहाँ आया और उसे बाहर निकाला और जब वह अपने कमरे में गया, तो चारों व्यक्ति मौके से भाग गए थे । उसने अपने कमरे की अलमारी खुली पाई और उसमें से 45,000/- रुपये गायब थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार यह अभिकथन है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने नकद राशि के साथ-साथ आभूषणों की भी लूट की है। इसके बाद उसने अपने पड़ोसी गंगाधर (अ.सा.-6) को बुलाया। मृतिका के शव का परीक्षण (पोस्टमार्टम) दिनांक 15.9.2006 को डॉ. शिव नारायण मांझी (अ.सा.-12) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) में राय दी कि मृत्यु का कारण सिर में चोट के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुआ सदमा था और मृत्यु की प्रकृति 'मानव-वध' थी। इस देहाती नालिशी के आधार पर, अभियुक्त वीरेंद्र देवांगन, दीपक देवांगन, रिखीराम देवांगन एवं अन्यों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 एवं 394 के तहत अपराध पंजीकृत किए गए। मृतिका की मृत्यु के पश्चात, उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-33) पंजीकृत की गई।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-21 से पी-23 के माध्यम से अभिलिखित किए गए। तीनों अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण से प्रदर्श पी-25, पी-26 एवं पी-27 के माध्यम से जब्ती की गई, जिसके द्वारा 2000/- रुपये नकद एवं चांदी की पायल जब्त की गई। हालांकि, इन वस्तुओं की किसी के भी द्वारा पहचान नहीं की गई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, यहाँ वर्णित अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के साथ-साथ दोषमुक्त किए गए अभियुक्त दीपक,

शिवचरण, रमेश, लीलाधर एवं सुरेंद्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 394, 302 एवं 396 के तहत दिनांक 23.11.2006 को अभियोग पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया। तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध धारा 147, 148, 395, 396, 450, 302, 342/149 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किए गए।

3. अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में 20 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं के निर्दोष होने तथा मामले में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया ।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त दीपक, शिवचरण, रमेश, लीलाधर एवं सुरेंद्र को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को धारा 147, 148, 395 एवं 396 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. के आरोपों से भी दोषमुक्त कर दिया, किंतु उन्हें इस निर्णय के पैरा क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया।

5. दाण्डिक अपील क्रमांक 444/2009 में अभियुक्त/अपीलार्थी वीरेंद्र की ओर से अधिवक्ता श्रीमती हमीदा सिद्दीकी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वेद प्रकाश (अ.सा.-1), कौशल कुमार (अ.सा.-3), सुनील (अ.सा.-4) एवं गंगाधर (अ.सा.-6) के कथन विधि सम्मत न होने के कारण अविश्वसनीय हैं और विश्वास को प्रेरित नहीं करते। उनका तर्क है कि अभियोजन द्वारा एक अत्यंत असंभाव्य कहानी पेश की गई है, जहाँ यह आरोप है कि मृतिका को एक अलग कमरे में ले जाया गया, उसकी हत्या की गई और फिर अभियुक्त/अपीलार्थी वीरेंद्र ने कथित तौर पर वेद प्रकाश (अ.सा.-1) से 50/- रुपये उधार मांगे। उनका तर्क है कि यदि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई अपराध किया होता, तो वे मृतिका के साथ-साथ वेद प्रकाश (अ.सा.-1) के साथ भी मारपीट करते, किंतु उन्होंने वेद प्रकाश के साथ मारपीट नहीं की बल्कि उसे केवल बांध दिया, जो मामले की पूर्णतः मिथ्या प्रकृति को दर्शाता है। उनका तर्क है कि जब कौशल कुमार (अ.सा.-3) और सुनील (अ.सा.-4) ने वह दरवाजा खोला जहाँ वेद प्रकाश (अ.सा.-1) बंद था, तो उन्होंने निश्चित रूप से मृतिका का शव देखा होता, किंतु उनके द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। अतः, श्रीमती सिद्दीकी के अनुसार, स्वयं वेद प्रकाश (अ.सा.-1) द्वारा अपराध किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि जब्त की गई वस्तुओं की पहचान न तो वेद प्रकाश (अ.सा.-1) द्वारा की गई है और न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, और इसलिए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को घसनी बाई की कथित हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्रीमती सिद्दीकी के तर्कों को अपनाते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी संजय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वसीम मियाँ ने तर्क दिया कि वेद प्रकाश (अ.सा.-1) की सूचना पर दर्ज देहाती नालिशी में संजय का नाम नहीं है, यद्यपि उक्त वेद प्रकाश द्वारा उसकी पहचान की गई थी और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उसे (संजय को) झूठे मामले में फंसाया गया है। उनका तर्क है कि यदि

अभियुक्त संजय, वेद प्रकाश (अ.सा.-1) का परिचित था, तो रिपोर्ट में उसका नाम अंकित किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। अतः श्री वसीम मियाँ के अनुसार, उसके नाम के उल्लेख करने में लोप करना भी यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त संजय को झूठे मामले में फंसाया गया है।

7. अभियुक्त रिखीराम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री महेंद्र दुबे का तर्क है कि गंगाधर (अ.सा.-6) का कथन अत्यंत अविश्वसनीय है क्योंकि वास्तव में उसने वैसा कुछ नहीं देखा जैसा उसके द्वारा आरोप लगाया गया है। उनका कथन है कि खेम कुमार (अ.सा.-11) ने केवल अभियुक्त वीरेंद्र के विरुद्ध आरोप लगाया है और चूँकि अभियुक्त दीपक को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः अभियुक्त रिखीराम को भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि गंगाधर (अ.सा.-6) ने घटना का अलग समय बताया है और इसलिए भी उसका कथन संदेहास्पद हो जाता है।

8. आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव द्वारा यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष पूर्णतः विधि सम्मत हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं है। उनका तर्क है कि वेद प्रकाश (अ.सा.-1), कौशल कुमार (अ.सा.-3), सुनील (अ.सा.-4) एवं गंगाधर (अ.सा.-6) के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं, क्योंकि इन साक्षियों के प्रति-परीक्षण में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया जो अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के लिए किसी भी प्रकार से सहायक हो सके। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1) में अभियुक्त संजय का नाम नहीं है, तो भी वह इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं होती है, और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथनों में वेद प्रकाश (अ.सा.-1) ने अभियुक्त संजय की विधिवत पहचान की है तथा उसके विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. वेद प्रकाश (अ.सा.-1) ने कथन किया है कि मृतिका घसनीन बाई उसकी माता थी और घटना के दिन दोपहर लगभग 1 बजे, जब वह स्कूल से लौटकर भोजन कर रहा था, तब अभियुक्त/अपीलार्थी वीरेंद्र वहाँ आया और उसकी माता से कहा कि कोई व्यक्ति मकान को किराये पर लेने के लिए देखने आया है। उसके लगभग 15 मिनट पश्चात, वह पुनः आया और उससे 50/- रुपये उधार मांगे, और जब उसने उक्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त की, तो उसने (अभियुक्त वीरेंद्र ने) उससे अपनी माता से रुपयों का प्रबंध करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, अभियुक्त/अपीलार्थी वीरेंद्र उसे पास के एक मकान में ले गया जो किराये पर दिया गया था, जहाँ उसने अपनी माता को खाट पर पूरी तरह खून से लथपथ पड़े हुए देखा।

इस साक्षी के अनुसार, उक्त स्थान पर एक अन्य लड़का भी खड़ा था जो न्यायालय में उपस्थित नहीं था। इसके बाद, इस साक्षी के अनुसार, दो अभियुक्त व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित थे, वहाँ आए और उसने उनकी ओर संकेत किया तथा पूछने पर उन्होंने अपना नाम संजय और रिखीराम बताया। उसने कथन किया है कि उसके बाद चारों अभियुक्तों, अर्थात् एक उड़िया

लड़के और वर्तमान अपीलार्थीगण ने उसे एक बेंच से बांध दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर वहाँ से चले गए। इस साक्षी ने आगे बताया कि चूँकि कमरे की खिड़की खुली थी, इसलिए उसने कौशल कुमार (अ.सा.-3) को आवाज दी, जिसने ताला तोड़कर उसे बाहर निकाला।

जब वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वह रह रहा था, तो उसने चारों अभियुक्तों को बाहर निकलते देखा और उसे देखते ही वे भाग गए। तत्पश्चात, उसने अपने रिश्तेदार हेमचंद को पूरी घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस को बुलाया गया। उसके अनुसार, जब उसने अपनी माता को देखा, तो उसके चेहरे पर चोटें थीं और उनके द्वारा पहने गए आभूषण भी गायब थे। इस साक्षी ने आगे बताया कि जब उसने अलमारी देखी, तो उसमें रखे कपड़े बिखरे हुए थे और 45,000/- रुपये नकद तथा सोने के आभूषण गायब थे। प्रति-परीक्षण में यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर अडिग रहा और उसने पुनः उस रीति का वर्णन किया जिस प्रकार घटना घटित हुई थी।

गोकुल राम पटेल (अ.सा.-2) — जो मृतिका के पति हैं, ने कथन किया है कि घटना के दिन जब वह अपने कार्यस्थल पर गए थे, तब दोपहर 3.30 बजे उन्हें अपने पुत्र का टेलीफोन आया कि अभियुक्त/अपीलार्थी वीरेंद्र ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी है, और लगभग 4 बजे जब वे अपने घर पहुँचे, तो पुलिस उनके शव को शव परीक्षण के लिए ले जा चुकी थी। उन्हें उनके पुत्र वेद प्रकाश (अ.सा.-1) द्वारा सूचित किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी वीरेंद्र, जो उनके घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था, और तीन अन्य लड़कों ने मृतिका की हत्या कर दी है। उन्होंने यह भी देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ था, अलमारी खुली थी और 51,000/- रुपये नकद तथा मृतिका द्वारा पहने गए आभूषण गायब थे। प्रति-परीक्षण में यह साक्षी भी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर अडिग रहा और बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं निकाला जा सका जिससे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को कोई लाभ प्राप्त हो सके।

कौशल कुमार (अ.सा.-3) — लगभग 14 वर्ष की आयु के एक बाल साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन दोपहर लगभग 2 बजे सुनील (अ.सा.-4) ने उसे सूचित किया कि वेद प्रकाश (अ.सा.-1) के घर से कुछ आवाज आ रही थी और जब उसने खिड़की से झाँक कर देखा, तो उसने (वेद प्रकाश ने) उससे दरवाजा तोड़कर खोलने का अनुरोध किया और दरवाजा तोड़े जाने के बाद, वेद प्रकाश (अ.सा.-1) बाहर आया और तब उसे पता चला कि वेद प्रकाश की माता की हत्या कर दी गई थी। सुनील (अ.सा.-4) ने कथन किया है कि चीखें सुनने के बाद जब उसने खिड़की से झाँक कर देखा, तो वेद प्रकाश (अ.सा.-1) ने उससे ताला खोलने के लिए कहा और जब वह इसमें सफल नहीं हुआ, तब कौशल कुमार (अ.सा.-3) वहाँ आया और उसकी सहायता से ताला खोला गया और तब वेद प्रकाश बाहर आया और तब उसे पता चला कि वेद प्रकाश की माता की हत्या कर दी गई थी।

दउआ प्रसाद (अ.सा.-5) ने कथन किया है कि उसने वेद प्रकाश (अ.सा.-1) के घर से व्यक्तियों को भागते हुए देखा था लेकिन उसने उनके चेहरे नहीं देखे थे। तत्पश्चात, इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। गंगाधर (अ.सा.-6) — एक अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कथन किया है कि वह अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के साथ-साथ वेद प्रकाश (अ.सा.-1) को भी जानता था और घटना के दिन सुबह 11.30 से पौने 12 बजे के मध्य जब वह अपनी दुकान पर था, तब वेद प्रकाश उसके पास आया और सूचित किया कि अभियुक्त वीरेंद्र ने उसकी माता की हत्या कर दी है। जब वह वेद प्रकाश की माता को देखने जा रहा था, तब उसने अभियुक्त वीरेंद्र, रिखीराम, दीपक और एक अन्य लड़के को, जिसका नाम वह नहीं जानता था, वेद प्रकाश के घर के पिछले हिस्से से भागते हुए देखा।

उसने अभियुक्त वीरेंद्र के हाथ में दो बैग भी देखे और तब उसे पता चला कि घसनी बाई की हत्या कर दी गई थी। प्रति-परीक्षण में, इस साक्षी ने कथन किया है कि वह जानता था कि अभियुक्त वीरेंद्र, वेद प्रकाश का किरायेदार था लेकिन उसने वास्तविक घटना होते हुए नहीं देखा। इस साक्षी के अनुसार, उसकी दुकान घटना स्थल से 40-50 फीट दूर है और उसकी दुकान से घटना स्थल पर होने वाली गतिविधियों को नहीं देखा जा सकता था। हालांकि, उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने कुछ भी नहीं देखा था। बलदाऊ पटेल (अ.सा.-7) सुपुर्दगीनामा सूचना प्रदर्श पी-4 और शव पंचनामा प्रदर्श पी-5 के साथ-साथ मृतिका की पहचान प्रदर्श पी-6 का साक्षी है, जब उसका शव, शव परीक्षण हेतु भेजा जा रहा था।

सुनीता (अ.सा.-8) प्रदर्श पी-7 के तहत की गई एक काले रंग के बैग की जब्ती की साक्षी है, जिसने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है। मुन्ना सिन्हा (अ.सा.-9) और विमल देवांगन (अ.सा.-10) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। खेम कुमार (अ.सा.-11) ने कथन किया है कि वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों और साथ ही मृतिका के पुत्र वेद प्रकाश (अ.सा.-1) को जानता था। इस साक्षी के अनुसार, घटना की तिथि को वेद प्रकाश ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसकी माता की अभियुक्त वीरेंद्र द्वारा हत्या कर दी गई है, जिस पर उसने उसे रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। तत्पश्चात, वह पुलिस थाने पहुँचा जहाँ से वह सहायक उप-निरीक्षक के साथ घटना स्थल पर आया और घसनीन बाई को जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके बाद, इस साक्षी के अनुसार, जब उन्हें अन्य व्यक्तियों की सहायता से अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई और तब उसे वेद प्रकाश के माध्यम से पता चला कि उसकी माता की हत्या अभियुक्त वीरेंद्र और अन्यों द्वारा की गई थी। उसने आगे कथन किया है कि दोषमुक्त किए गए अभियुक्त शिवचरण का प्रकटीकरण कथन उसकी उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था जहाँ उसने सूचित किया था कि घटना स्थल छोड़ने के बाद, उन्होंने पैसे और अन्य लूटी गई वस्तुओं का आपस में बँटवारा किया था। इस साक्षी के अनुसार, दोषमुक्त अभियुक्त शिवचरण से कुछ वस्तुओं की जब्ती प्रदर्श पी-11 के माध्यम से की गई थी। इस साक्षी ने अभियुक्त रमेश, लीलाधर और सुरेंद्र के प्रकटीकरण कथन तथा प्रदर्श पी-15 से पी-17 के तहत की गई वस्तुओं की जब्ती को भी प्रमाणित किया है।

डॉ. शिव नारायण मांझी (अ.सा.-12) वह साक्षी हैं जिन्होंने मृतिका के शव का शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दिया है , जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके शरीर पर निम्नलिखित नौ चोटें मौजूद थीं: (i) माथे के हिस्से पर मौजूद नीलांग फटा हुआ घाव जो 3 भागों में विस्तारित था (i) 4.5 X 0.9 से.मी. (ii) 5 X 1 से.मी. (iii) 3.5 X 1 से.मी., सभी अनुप्रस्थ रूप से अस्थि की गहराई तक। (iii) बाएं पार्श्व-शंख क्षेत्र पर मौजूद नीलांग फटा हुआ घाव 12 X 2 से.मी. अनुप्रस्थ रूप से, अस्थि की गहराई तक, किनारे अनियमित हैं जिसमें 2 लंबे टांके लगे हैं। (iv) बाएं पार्श्व क्षेत्र पर मौजूद कटा हुआ घाव 5 X 0.5 से.मी. अस्थि की गहराई तक। (v) शीर्ष भाग के मध्य तल पर मौजूद कटा हुआ घाव 4 X 0.5 से.मी. अनुप्रस्थ रूप से। (vi) चोट क्रमांक 4 से 2 से.मी. पीछे — 4 X 0.5 से.मी. अनुप्रस्थ रूप से; चोट क्रमांक 5 से 2.5 से.मी. पीछे — 5 X 0.5 से.मी. अनुप्रस्थ रूप से अस्थि की गहराई तक। (vii) नथुने के ऊपरी 1/3 भाग से मैक्सिलरी क्षेत्र तक थोड़ा बाईं ओर मौजूद कटा हुआ घाव — 5 X 0.5 से.मी. अस्थि की गहराई तक, कैविटी तक गहरा। (viii) बाएं जाइगोमैटिक क्षेत्र पर लंबवत तिरछा कटा हुआ घाव — 3 X 1 X 0.5 से.मी. आकार का। (ix) छाती के बाईं ओर अधोपार्श्विक क्षेत्र से मध्य तल तक मौजूद कटा हुआ घाव — 15 X 0.2 से.मी. अनुप्रस्थ रूप से — सतही तौर पर।

मृत्यु सिर की चोट के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव के कारण हुई थी। कुछ चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु से पहुंचाई गई हैं। कुछ चोटें तीक्ष्ण एवं कठोर भारी वस्तु से पहुंचाई गई हैं। मृत्यु की अवधि शव परीक्षण परीक्षण से 24 घंटे पूर्व के भीतर है। चोटों की अवधि मृत्यु से 12 घंटे पूर्व के भीतर की है। मृत्यु की प्रकृति 'मानव-वध' थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अरुण कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.-13) वह साक्षी है जिसने मृतिका के शव परीक्षण के पश्चात विवेचना में सहायता की। रामाधार पटेल (अ.सा.-14) वह साक्षी है जो घटना के पश्चात अनवर हुसैन एवं अन्य के साथ मौके पर पहुँचा और घसनी बाई को घायल अवस्था में खून से लथपथ देखा और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस साक्षी के अनुसार, बाद में उसे पता चला कि घसनी बाई की हत्या अभियुक्त वीरेंद्र द्वारा अन्य व्यक्तियों की सहायता से की गई थी।

जितेंद्र साहू (अ.सा.-15) प्रदर्श पी-21 से पी-24 के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण कथन और प्रदर्श पी-25 से पी-28 के तहत की गई जब्ती का साक्षी है। उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। गजेंद्र कुमार निषाद (अ.सा.-16) प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-10, 12, 13 एवं 14 तथा प्रदर्श पी-11, पी-15, पी-16 एवं पी-17 के तहत वस्तुओं की जब्ती का साक्षी है, उसने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। एम.एल. अजगले (अ.सा.-17) वह साक्षी है जिसने विवेचना का कुछ हिस्सा पूरा किया, अर्थात देहाती नालिशी प्रदर्श पी-1 दर्ज करते समय रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि की, सुपुर्दगीनामा की सूचना दी और फिर सुपुर्दगीनामा तैयार किया। उसने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है।

लाभराम (अ.सा.-18) — प्रदर्श पी-19, पी-35 एवं पी-36 के तहत की गई जब्ती के साक्षी ने कोई विशिष्ट कथन नहीं दिया है। गणेश पारधी (अ.सा.-19) सुपुर्दगीनामा सूचना प्रदर्श पी-4, मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी-5 और शव परीक्षण से पूर्व मृतिका के शव की पहचान प्रदर्श पी-6 का साक्षी है। वह प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-21, पी-22, पी-23 एवं पी-24 तथा प्रदर्श पी-25, पी-26, पी-27 एवं पी-28 के तहत की गई जब्ती का भी साक्षी है। हालांकि, इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। के.बी. खत्री (अ.सा.-20) विवेचना अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है।

10. साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि घटना की तिथि को अभियुक्त वीरेंद्र ने मृतिका के घर में प्रवेश किया, उसे किरायेदार को दिखाने के बहाने पास के एक घर में ले गया और फिर अपने सहयोगियों की सहायता से उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य से यह और स्पष्ट होता है कि मृतिका की हत्या करने के पश्चात वह उसके घर लौटा और इस बार वेद प्रकाश को अपने कमरे में ले गया जहाँ मृतिका पड़ी थी और उसे बांधने तथा बाहर से दरवाजा बंद करने के बाद, वह और उसके सहयोगी पुनः उस घर में आए जहाँ मृतिका रह रही थी और फिर नकद राशि एवं आभूषणों की लूट की। वेद प्रकाश (अ.सा.-1) ने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है और वर्णनात्मक तरीके से यह गवाही दी है कि घटना किस प्रकार घटित हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वेद प्रकाश (अ.सा.-1) के साक्ष्य से यह और भी स्पष्ट है कि घसनीन बाई की हत्या करने में अभियुक्त वीरेंद्र के साथ अभियुक्त रिखीराम भी वहां मौजूद था। उसने (अ.सा.-1) तत्काल दर्ज की गई देहाती नालिशी प्रदर्श पी-1 के समय अभियुक्त वीरेंद्र, दीपक और रिखीराम को स्पष्ट रूप से नामित किया है। इसके अतिरिक्त, उसने न्यायालय में अभियुक्त वीरेंद्र और रिखीराम की विधिवत पहचान की है। अतः किसी भी संदेह की गुंजाइश से परे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त वीरेंद्र और रिखीराम ने घसनी बाई की हत्या की है।

यद्यपि न्यायालय में वेद प्रकाश (अ.सा.-1) ने अभियुक्त संजय की पहचान भी हमलावरों में से एक के रूप में की है, फिर भी देहाती नालिशी प्रदर्श पी-1 में उसका नाम उल्लेखित नहीं किया गया है और इसलिए प्रश्नगत अपराध में उसकी संलिप्तता संदेहास्पद हो जाती है। वेद प्रकाश (अ.सा.-1) के कथन का कौशल कुमार (अ.सा.-3), सुनील (अ.सा.-4) और गंगाधर (अ.सा.-6) द्वारा विधिवत समर्थन किया गया है और इस न्यायालय के पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

11. तदनुसार, अभियुक्त रिखीराम द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 537/2009 सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है। दाण्डिक अपील क्रमांक 444/2009 जहाँ तक अभियुक्त वीरेंद्र कुमार से संबंधित है, वह भी खारिज किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

तथापि, जहाँ तक अभियुक्त संजय कुमार का संबंध है, इसे स्वीकार किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 342 एवं 454 के तहत उसकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है

और उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उसे कारागार में निरुद्ध बताया गया है। यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित न हो, तो उसे अविलम्ब मुक्त किया जाए।

सही/-	सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)	(प्रीतिंकर दिवाकर)
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur